न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 09 / 2019 दायरा दिनांक : 08.01.2019

उनवान

1– खेमराज आत्मज श्री मथुरा लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– संतोष बाई पुत्री श्री मथुरा लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– भैरी बाई बेवा श्री मथुरा लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीकिशन आत्मज श्री गोरधन, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– मन्जू बाई पत्नी श्री रामकिशन, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– रामप्यारी पत्नी श्री हंसराज, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– सुनीता बाई पत्नी श्री पप्पूलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– रामनिवास आत्मज श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– हंसराज आत्मज श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– पप्पू लाल आत्मज श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8-- विमला बाई पुत्री श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

9– राजेश बाई पुत्री श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10– प्रेम बाई बेवा श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11– नन्द लाल आत्मज श्री कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

12– बलराम आत्मज श्री कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

13– कमला बाई बेवा श्री कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

14– कौशल्या बाई पत्नी श्री दौलतराम, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

15– गोहनी बाई पत्नी श्री दानमल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16– शाखा प्रबन्धक, केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा खानपुर, जिला झालावाड़

17– शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खानपुर, जिला झालावाड़

18– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 10/2019 दायरा दिनांक : 08.01.2019

उनवान

1– खेमराज आत्मज श्री मथुरा लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– संतोष बाई पुत्री श्री मथुरा लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– भैरी बाई बेवा श्री मथुरा लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1– श्रीकिशन आत्मज श्री गोरधन, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– मन्जू बाई पत्नी श्री रामकिशन, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– रामप्यारी पत्नी श्री हंसराज, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– सुनीता बाई पत्नी श्री पप्पूलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– रामनिवास आत्मज श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– हंसराज आत्मज श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– पप्पू लाल आत्मज श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8– विमला बाई पुत्री श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9– राजेश बाई पुत्री श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10– प्रेम बाई बेवा श्री छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11– नन्द लाल आत्मज श्री कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

12– बलराम आत्मज श्री कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

13– कमला बाई बेवा श्री कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

14– कौशल्या बाई पत्नी श्री दौलतराम, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

15– मोहनी बाई पत्नी श्री दानमल, जाति धाकड़, निवासी घघरावता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

16– शाखा प्रबन्धक, केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा खानपुर, जिला झालावाड़

17– शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खानपुर, जिला झालावाड़

18– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री धारा सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.03.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1030/2015 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 24.06.2016 एवं अंतिम डिकी दिनांक 28.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद वास्ते विभाजन का इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या नया 103 पुराना 19 की आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 238 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 356 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम घघरावता, तहसील खानपुर में स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय लोक अदालत में किया है जबकि उक्त वाद में पक्षकारान का जवाबदावा भी नहीं आया था और वाद में तनकीयात भी कायम नहीं हुई थी और उक्त वाद में किसी प्रकार का कोई राजीनामा प्रस्तुत हुआ था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से लोक अदालत की भावना व प्रकिया के विरूद्ध जाकर एक तरफा रूप से वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय व डिकी अपील न्याय एवं संचिका में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में नियत थी, बिना जवाबदावा प्राप्त किये निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी पूर्वजों के स्वर्गवास के बाद से निरन्तर दर्ज होती चली आ रही है । बिशनलाल आलौदात थे जिन्होंने रामनारायण के पुत्र मथुरा लाल जो कि अपीलांट के पिता हैं को गोद लिया तथा भैरू लाल के एक पुत्र छीतरलाल हुआ तथा गोरधन के एक पुत्र श्रीकिशन हुआ । इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि में अपीलांट का 1/4 हिस्सा बिशन लाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा और उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना चाहिए था परन्तु गलत तरीके से दौराने सैटलमेंट वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट नम्बर 1 का नाम 1/3 हिस्सा दर्ज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व जवाबदावा लिये बिना ही तथा तनकीयात व साक्ष्य रिकार्ड किये बिना ही एक तरफा लोक अदालत में बिना किसी सहमति व उपस्थिति के निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.06.2017 अपास्त की जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.12.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व जवाबदावा लिये बिना ही तथा तनकीयात व साक्ष्य रिकार्ड किये बिना ही एक तरफा लोक अदालत में बिना किसी सहमति व उपस्थिति के निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी अनुपस्थिति में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद दिनांक 28.06.2017 को फाईनल डिक्री जारी कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलांट मथुरा लाल के वारिस हैं । बिशनलाल ला औलाद फौत हुआ। बिशन लाल ने मथुरा लाल को गोद लिया । बिशन लाल का 1/4 हिस्सा मथुरा लाल के वारिसान को मिलना चाहिए । जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 1/3 हिस्सा दिया है, जो गलत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण पारित की है तो फाईनल डिक्री भी त्रुटिपूर्ण होगी । अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री पारित करने की सूचना भी पक्षकारान को नहीं दी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधि सम्मत सूचना दी गई थी । अपीलांट की तीन पीढ़िया निकल जाने के बाद अब मथुरा लाल के वारिसों ने वाद दायर किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 16.11.2015 को प्रतिवादी नम्बर 11, 12, 13, 14, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री लेखराज सिंह चन्द्रावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया । इनमें प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 अपीलांट हैं । आदेशिका दिनांक 11.01.2016 जवाब हेतु मुकर्रर थी इसके पश्चात् दिनांक 02.05.2016 व 24.06.2016 को केम्प कोर्ट में पत्रावली प्रस्तुत होने के आदेश हैं । दिनांक 24.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प शोजपुर में पेश होना अंकित किया गया है जिसमें वादी की उपस्थिति एवं अपीलांट की उपस्थिति बाबत कोई अंकन नहीं है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का जवाब भी बन्द नहीं किया, न तो बयान हुए और न प्रतिवादी के बयान करवाये गये हैं । इस प्रकार सी पी सी क़ी पालना किये बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है, जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अंतिम डिक्री इसी त्रुटिपूर्ण प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर जारी की गई है । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है जबकि राजस्व मण्डल के

(सुरेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नियम के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिकी और अंतिम डिकी त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 09/2019 एवं 10/2019 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 24.06.2016 एवं अंतिम डिकी दिनांक 28.06.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर सी. पी. सी. की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत तनकीवार निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिकी पारित करें तथा प्रारम्भिक डिकी के आधार पर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिकी पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा